राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएं
2 जलपथ, गांधी नगर, जयपुर

एफ.4(1)( )पोषा./S.H.G./मबावि/2007/ 10513-45 जयपुर, दिनांक 19/2/07

उप निदेशक (बाल विकास)
समेकित बाल विकास सेवाएं,
समस्त। (बांसवाडा को छोडकर)

विषय :-- आयुवर्ग 0 से 3 वर्ष के बच्चों, गर्भवती/धात्री महिलाओं एवं किशोरी बालिकाओं को, स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से स्थानीय स्तर पर खाने योग्य पूरक पोषाहार (बेबी मिक्स) उपलब्ध कराये जाने की कार्य योजना के सम्बन्ध में।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्देशों के क्रम में आयुवर्ग 0 से 3 वर्ष के बच्चों, गर्भवती/धात्री महिलाओं तथा किशोरी बालिकाओं को स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से स्थानीय स्तर पर पूरक पोषाहार (बेबी मिक्स) उपलब्ध कराया जाना है। सर्वप्रथम यह योजना जिला–भरतपुर में संचालित बाल विकास परियोजना, कुम्हेर एवं डीग, जिला–बीकानेर में संचालित बाल विकास परियोजना, कोलायत एवं श्रीडूंगरगढ, जिला–चूरू में संचालित बाल विकास परियोजना, राजगढ एवं तारानगर तथा जिला–टोंक में संचालित बाल विकास परियोजना, मालपुरा के दो–दो सैक्टरों में संचालित आगनबाडी केन्द्रों पर प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया है। बाल विकास परियोजना, टोंक ग्रामीण में यह योजना पूर्व में ही संचालित की जा रही है। यह योजना चरणबद्व रूप से इन परियोजनाओं में पूर्णतया लागू की जायेगी।

इसी प्रकार राजस्थान न्यूट्रीशन मिशन के 13 जिलों में से 12 जिलों (बांसवाड़ा को छोडकर) की एक–एक बाल विकास परियोजनाओं के दो–दो सैक्टरों के आंगनबाडी केन्द्रों पर प्रारम्भ की जायेगी तथा अनुभव के आधार इन परियोजनाओं में चरणबद्व रूप से पूर्णतया लागू की जायेगी। चूंकि वर्तमान में जिला–बांसवाडा में विश्व खाद्य कार्यक्रम के सहयोग से पूरक पोषाहार उपलब्ध करवाया जा रहा है, अतः यह योजना जिला–बांसवाडा में लागू नहीं की जा रही है। राजस्थान न्यूट्रीशन मिशन के 12 जिलों के चयनित बाल विकास परियोजनाओं की सूची संलग्न है। योजना के सम्बन्ध में विस्तृत दिश–निर्देश निम्नानुसार है :–

(1) उद्देश्य

आयुवर्ग 0–3 वर्ष के बच्चों, गर्भवती/धात्री महिलाओं तथा किशोरी बालिकाओं को स्थानीय स्तर पर महिला समूह/स्वयं सहायता समूहों/महिला मण्डलों के माध्यम से स्थानीय स्तर पर पूरक पोषाहार (बेबी मिक्स) तैयार कर उपलब्ध कराना।

विभाग का अनुभव है कि जन्म से लेकर 6 माह की आयु तक के शिशुओं का विकास एवं वृद्वि सामान्यतः संतोषप्रद रहती है। 6 माह के पश्चात बच्चों को मां के दूध के साथ–साथ उचित मात्रा में सुपाची आहार का देना भी आवश्यक होता है जिसमें सभी आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों (माईक्रोन्यूट्रिएन्ट) का आवश्यक मात्रा में समावेश हो। इससे

बच्चों में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी के कारण सम्भावित कुपोषण नहीं होगा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार पूरक पोषाहार में आवश्यक दैनिक सूक्ष्म पोषक तत्वों की मात्रा दैनिक आवश्यकता की कम से कम 50 प्रतिशत होना चाहिए। अतः सूक्ष्म पूरक तत्वों से समृद्ध पूरक पोषाहार उपलब्ध कराया जाना वांछनीय है। इन्हीं उद्देश्यों को प्राप्त करने तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल रिट पीटीशन संख्या 196/2001 के अन्तर्गत समय–समय पर पारित निर्देशों के अनुसार पूरक पोषाहार (जो सूक्ष्म पोषक तत्वों से समृद्ध हो) स्थानीय स्तर पर महिला मण्डलों, ग्रामीण समूहों अथवा स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से स्थानीय बाजार से क्रय किये गये खाद्यान्न सामग्री (रॉ–मैटेरियल) का प्रयोग कर तैयार कराया जाकर आंगनबाडी केन्द्रों पर बच्चों/गर्भवती एवं धात्री महिलाओं तथा किशोरी बालिकाओं को उपलब्ध कराया जाना है। पूरक पोषाहार की ऐसी व्यवस्था करने से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार तथा मा. उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्देशों की अनुपालना सम्भव होगी तथा बच्चों/माताओं के कुपोषण में भी कमी आयेगी।

(2) <u>योजना के कियान्वयन कार्य विधि</u>

सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा इच्छुक तथा योग्य स्वयं सहायता समूहों का चयन किया जायेगा। स्वयं सहायता समूहों का चयन निम्नलिखित मापदण्डों के अनुसार किया जायेगा :–

(i) **ऐसे स्वयं सहायता समूह जो कम से कम एक वर्ष से सफलतापूर्वक कार्यरत हो।**

(ii) **जिसकी आर्थिक स्थिति सुदृढ हो एवं समूहों द्वारा किसी राष्ट्रीय अथवा अनुसूचित बैंक में बचत/चालू खाता संचालित किया जा रहा**

(iii) जो महिला एवं बाल विकास विभाग (समेकित बाल विकास सेवाएं अथवा महिला अधिकारिता विभाग) द्वारा गठित किये गये हो तथा जिन्होंने बैंक से ऋण प्राप्त किया हो, उन्हें प्राथमिकता दी जावे।

(iv) जो समूह के सदस्यों की आयवृद्धि के कार्यो में संलग्न हो तथा जिनकी कार्य प्रणाली तथा योग्यता अच्छी है अर्थात औसत से अधिक योग्यता रखते हो।

(v) **जिसके सदस्यों मे प्रथम दृष्टया एकजुटता हो।**

(vi) जो स्थानीय स्तर पर विभागीय निर्देशों तथा गुणवत्ता के अनुसार पूरक पोषाहार (बेबी मिक्स) तैयार कर सप्लाई करने के लिए बाल विकास परियोजना अधिकारी के साथ अनुबंध निष्पादित करने को तैयार हो।

(vii) **समूह का चयन करते समय यह ध्यान रखा जावे कि समूह के अधिकांश सदस्य घर पर कार्य करते हो तथा प्रायः मजदूरी/कृषि कार्यो के लिए बाहर नहीं जाते हो। क्योंकि ऐसे समूह के चयन से पोषाहार आपूर्ति का कार्य बाधित हो सकता है।**

(viii) प्रत्येक आंगनबाडी केन्द्र के लिए एक स्वयं सहायता समूह का चयन किया जायेगा तथा समूह के सदस्यों को विभाग द्वारा प्रशिक्षित किया जायेगा एवं विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया की पालना कर उक्त समूह द्वारा तैयार पूरक पोषाहार सम्बन्धित केन्द्रों पर प्राप्त किया जायेगा। जिस किसी आंगनबाडी केन्द्र के लिए सक्षम स्वयं सहायता समूह उपलब्ध नहीं हो, उस केन्द्र पर पूरक पोषाहार (बेबी मिक्स) की प्राप्ति निकटतम केन्द्र से सम्बन्धित स्वयं सहायता समूह से की जा सकेगी। लेकिन आदर्श स्थिति एक आंगनबाडी केन्द्र के लिए एक स्वयं सहायता समूह का होना ही होगा।

(ix) **पोषाहार की गुणवत्ता व मात्रा पर निगरानी मुख्यतः आंगनबाडी कार्यकर्ता द्वारा ही सुनिश्चित की जाती है, अतः ऐसे समूह का चयन नहीं करें जिसमें आंगनबाडी कार्यकर्ता/आशा सहयोगिनी/सहायिका, अथवा उनके परिवार के कोई सदस्य समूह की पदाधिकारी अथवा सदस्य हो।**

(3) पूरक पोषाहार की रेसीपी एवं निर्माण विधि

स्वयं सहायता समूहों द्वारा आपूर्ति किये जाने वाले बेबी मिक्स पोषाहार की 100 ग्राम रेसीपी में निम्नानुसार अवयव (Ingradients) होंगे :–

क्र.सं.	बेबी मिक्स पोषाहार के अव्यव	मात्रा प्रतिशम (ग्राम में)
1	गेहूं (पूर्ण)	40.00
2	वसा युक्त सोया	25.00
3	चीनी	30.00
4	खाने योग्य तेल	5.00
योग		**100.00**

नोट :– (1) विभाग द्वारा आवश्यक होने पर उक्त रेसीपी में संशोधन किया जा सकेगा।

(2) सुविधा के लिए बच्चों एवं महिलाओं तथा किशोरी बालिकाओं की भिन्न–भिन्न संख्या के लिए साप्ताहिक पोषाहार निर्माण के लिए आवश्यक कच्ची खादय सामग्री के दो चार्ट संलग्न है। समूह द्वारा इन चार्टो की सहायता से कच्ची खादय सामग्री का उपयोग वांछित मात्रा में पोषाहार तैयार करने में किया जायेगा।

(A) सामग्री

बेबी मिक्स उत्पादन के काम में आने वाली खाद्य सामग्री बाजार से खरीदते समय ध्यान रखें कि :–

- गेंहू, सोयाबीन व चीनी अच्छी गुणवत्ता वाली हो। घुन या कीडा लगा गेहूं व सोयाबीन नहीं खरीदें। चीनी अच्छी व दानेदार लें, बूरा इत्यादि नहीं लें।
- एक बार में एक सप्ताह से अधिक अवधि के लिए पोषाहार तैयार न करें। क्योंकि एक बार पोषाहार तैयार करने के बाद 15 दिन के अन्दर उसका उपयोग करना आवश्यक है अन्यथा उसकी गुणवत्ता में गिरावट आ सकती है।

(B) गेहूं व सोयाबीन को भूनना

एक कडाही/भगोने में गेहूं को डालकर उसे आग पर रख दें व कलछी से धीरे–धीरे चलाते रहें जब तक यह अच्छी तरह से भुन न जाये। ध्यान रहे कि इसमें किसी तरह का तेल प्रयोग नहीं करना है, उसे सूखा ही भूनना है। कलछी को बराबर चलाते रहें जब तक कि गेहूं का रंग एक सा सुनहरा नहीं हो जाये व भुनने की खुशबू आने लगे और कुछ दानों के फूलने की आवाज आने लगे। ध्यान रहे, गेहूं के दाने जल नहीं जायें। जले दानों के स्वाद के कारण बच्चे इसे नहीं खा पायेंगे। दानों को भूनने के तुरन्त बाद कडाही/भगोने को उतार लें व भुने गेहूं को एक परात में ठंडा होने के लिए डाल दें।

इसी प्रकार, सोयाबीन के दानों को भी बिना तेल डाले सूखा भून लें जब तक कि सभी दाने एक से सुनहरे रंग के न हो जाएं, भुनने की खुशबू आने लगे तथा कुछ दानों के फूलने की आवाज आने लगे। दानों को भुनने तक लगातार कलछी से चलाते रहें ताकि दाने जलें नहीं। सोयाबीन के भुनते ही, तुरन्त कडाही/भगोना उतार लें और भुने हुए सोयाबीन को एक परात में ठंडा होने के लिए डाल दें।

(C) गेहूं, सोयाबीन और चीनी को पीसना

अब बारी–बारी से तीनों को बडी मिक्सी या घरेलू या बाजार की चक्की पर एक के बाद एक पीस लें। सबसे पहले सोयाबीन को पीस लेना ठीक रहता है। इसके बाद गेहूं को तथा अन्त में चीनी को पीस लें। सोयाबीन के पीसने से चक्की में लगी चिकनाई, गेहूं के आटे के द्वारा पिसाई के दौरान सोख ली जाती है, अतः इसकी पौष्टिकता में कोई कमी नहीं आती।

इसके बाद चीनी को भी पीस लें। तीनों पिसी हुई सामग्री को एक बडे बर्तन में डालकर उन्हें बडे चम्मच/कलछी की मदद से अथवा साबुन से धोये हुए स्वच्छ एवं सूखे हाथों से मिला लें।

(D) खाद्य तेल मिलाना

अब एक कडाही/बर्तन में खाद्य तेल लेकर गर्म करें। अच्छी तरह गर्म होने के बाद इसे आग से उतार लें एवं ठंडा होने दें। तेल के ठंडा होने पर पिसी हुई सामग्री (गेहूं, सोयाबीन व चीनी के मिश्रण) में इसे धीरे–धीरे मिलायें। स्वच्छ एवं सूखे हाथों से पूरे मिश्रण को बराबर मिलाते रहें ताकि कोई डली या गांठ न बन जाये। पूरा तेल अच्छी तरह मिलाने के बाद इसे ढक कर रख दें और जल्द से जल्द निर्धारित मात्रा 450 ग्राम अथवा 780 ग्राम पैकेट में डालकर उन्हें सील कर दें ताकि इन्हें वितरित करने में सुविधा रहे। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान स्थान, मशीन, प्रयोग में लिये जाने वाले बर्तनों एवं आस–पास के वातावरण आदि की स्वच्छता का पूरा–पूरा ध्यान रखें। कार्यस्थल पर समूह की कार्यकर्ता के कपडे इत्यादि की स्वच्छता का भी पूर्ण ध्यान रखा जावे।

(E) पूरक पोषाहार का फोर्टीफिकेशन

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देश दिनांक 31.01.2006 के द्वारा माईक्रोन्यूट्रिएन्ट के सम्बन्ध में मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं। इन मापदण्डों के अनुसार स्थानीय स्तर पर स्वयं सहायता समूह के माध्यम से उपरोक्तानुसार तैयार किये गये पूरक पोषाहार को फोर्टीफाईड करने की प्रक्रिया पर विचार किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश पृथक से जारी किये जायेंगे।

(F) तैयार पोषाहार के पैकेट बनाना

आयुवर्ग 0 से 3 वर्ष के एक बच्चे को प्रतिदिन 75 ग्राम तथा गर्भवती/धात्री महिलाओं तथा किशोरी बालिकाओं को 130 ग्राम पूरक पोषाहार (बेबी मिक्स) प्रतिदिन देना है। चूंकि साप्ताहिक पोषाहार 6 दिन का दिया जाता है, अतः प्रत्येक 0 से 3 वर्ष के बच्चों तथा गर्भवती/धात्री महिलाओं तथा किशोरी बालिकाओं को क्रमशः 450 ग्राम एवं 780 ग्राम पूरक पोषाहार (बेबी मिक्स) दिया जायेगा।

- पोलिथीन की थैलियों को एक–एक कर रगड कर खोलें, थैली को खोलने के लिए उसमें न तो मुंह से फूंक मारें और न ही उसमें उंगली या हाथ डालें।
- 450 ग्राम एवं 780 ग्राम पोषाहार (बेबी मिक्स) को तौलकर खुली हुई थैली में डाल दें। नाप का आकार/प्रकार इस तरह का लें कि मिश्रण थैली में जाये, बाहर नहीं बिखरे।

- अब थैली में पोषाहार निर्माण की तिथि की पर्ची डालकर इसे जली हुई मोमबत्ती या सीलिंग मशीन की सहायता से सील कर दें।
- आंगनबाडी केन्द्र पर जितने बच्चों एवं महिलाओं को साप्ताहिक पोषाहार देना है, उतनी थैलियां बनालें। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा स्वयं सहायता समूह को इस बाबत् आदेश प्रति सप्ताह परिशिष्ठ संख्या–6 के प्रारूप में दिया जावेगा/सूचित किया जावेगा।
- यह ध्यान रहे कि सही गुणवत्ता वाली पोलिथीन की थैलियों का ही प्रयोग करें। पोलिथीन की थैलियों मोटाई 21 माईक्रोन से कम नहीं हो।
- यह ध्यान रहे कि अधिकतम दो दिन पहले ही पोषाहार (बेबी मिक्स) तैयार करें और वितरण दिवस के एक दिन पहले आंगनबाडी केन्द्र पर पहुंचा दें। उदाहरण के लिये यदि गुरूवार साप्ताहिक पोषाहार वितरण दिवस है तो समूह को चाहिए कि वह मंगलवार को पूरक पोषाहार (बेबी मिक्स) बनाकर पैकेट तैयार कर लें। बुधवार को आंगनबाडी केन्द्र पर हर हाल में पहुंचा दे ताकि गुरूवार को उनका वितरण हो जावें।
- इस तरह तैयार पूरक पोषाहार (बेबी मिक्स) का उपयोग, तैयार करने के दिन से 10 दिन की अवधि में हो जायेगा और उसकी गुणवत्ता बनी रहेगी।
- पूरक पोषाहार (बेबी मिक्स) के निर्माण से 15 दिन में उपयोग नहीं होने पर उसकी पौष्टिकता में कमी आने की सम्भावना बढ जायेगी।

(4) स्वयं सहायता समूहों द्वारा बिन्दु संख्या–2 में वर्णित रेसीपी के अनुसार पूरक पोषाहार (बेबी मिक्स) तैयार कर आंगनबाडी केन्द्रों पर आपूर्ति किया जायेगा।

(5) इस योजना के प्रभावी कियान्वयन हेतु विभाग द्वारा परियोजना में कार्यरत बाल विकास परियोजना अधिकारी, महिला पर्यवेक्षकों, आंगनबाडी कार्यकर्ताओं एवं स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया जायेगा।

(6) **(i)** वर्तमान बाजार दरों के आधार पर प्रस्तावित बेबी मिक्स पोषाहार की प्रतिकिलो लागत निम्नानुसार आती है :–

विवरण	दर प्रति किलो	मात्रा ग्राम में	राशि रू. में
गेहूं (पूर्ण)	12.00	40.00	0.48
सोया	18.00	25.00	0.45
चीनी	16.00	30.00	0.48
तेल खाने योग्य	55.00	05.00	0.28
योग		**100**	**1.69**
जोडे–छीजत 5 प्रतिशत			0.08
पिसाई	01.50	–	0.15
भुनाई	04.00	–	0.40
पैकिंग	00.50	–	0.05
परिवहन	00.50	–	0.05
योग		**100.00**	**2.42**
स्वयं सहायता समूह को देय प्रोसेसिंग चार्ज/मजदूरी		**10 प्रतिशत**	**0.25**
कुल योग			**2.67**

नोट :–

1 "छीजत" की मद में छीजत के अलावा भुनाई के कारण वाष्पीकरण के द्वारा मात्रा में कमी, दरों में मामूली परिवर्तन आदि के द्वारा सम्भावित हानियां सम्मिलित हैं।

2 कच्ची सामग्री की दरों में कमी–बेशी हो सकती है अधिक परिवर्तन की स्थिति में कमेटी की अनुशंषा पर यूनिट दरों को संशोधित किया जायेगा जो संशोधन की तिथ से प्रभावी होगी। जब तक यूनिट दर में परिवर्तन नहीं किया जाये तब तक परिपत्र में उल्लेखित दर से ही पोषाहार आपूर्ति का भुगतान किया जायेगा।

(ii) उक्त रेसीपी के प्रति 100 ग्राम मात्रा से 408.80 किलो कैलोरी एवं 15.64 ग्राम प्रोटीन प्राप्त होती है। आई.सी.डी.एस. नॉर्मस के अनुसार आयुवर्ग 0 से 3 वर्ष के लाभान्वितों को 300 किलो कैलोरी एवं 8–10 ग्राम प्रोटीन तथा गर्भवती/धात्री महिलाओं तथा किशोरी बालिकाओं को 500 किलो कैलोरी एवं 20–25 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन दिया जाना आवश्यक है। अतः आयुवर्ग 0 से 3 वर्ष के लाभान्वितों को प्रतिदिन 75 ग्राम पूरक पोषाहार एवं गर्भवती/धात्री महिलाओं तथा किशोरी बालिकाओं को 130 ग्राम पूरक पोषाहार के वितरण से निर्धारित मापदण्डानुसार प्रोटीन एवं कैलोरी प्राप्त हो सकेगी।

(iii) उपरोक्तानुसार प्रत्येक 450 ग्राम तथा 780 ग्राम के पैकेट की भुगतान योग्य राशि निम्नानुसार होगी :–

(A) 450 ग्राम का पैकेट = (2.67/100) X 450 = 12.02 रू.

(B) 780 ग्राम का पैकेट = (2.67/100) X 780 = 20.83 रू.

(7) मोनेटरिंग की व्यवस्था

(i) आंगनबाडी केन्द्र द्वारा प्रतिमाह प्राप्त तथा उपयोग किये गये पोषाहार एवं शेष पोषाहार की सूचना सैक्टर स्तर पर उपलब्ध करवाई जायेगी।

(ii) सैक्टर स्तर पर संकलित सूचना खण्ड स्तर पर बाल विकास परियोजना अधिकारी को उपलब्ध करवाई जायेगी।

(8) आपूर्ति आदेश एवं बिल के भुगतान की प्रकिया

(i) स्वयं सहायता समूह द्वारा बाल विकास परियोजना अधिकारी के साथ संलग्न प्रारूप (परिशिष्ठ–5 में एक अनुबंध निष्पादित किया जायेगा। इसके उपरांत खण्ड स्तर से सम्बन्धित स्वयं सहायता समूह को पूरक पोषाहार आपूर्ति हेतु वार्षिक स्थाई आदेश प्रसारित किया जायेगा इस आदेश में यह उल्लेखित होगा कि केन्द्र पर पंजीकृत 3 वर्ष तक के बच्चों तथा गर्भवती/धात्री महिलाओं और किशोरी बालिकाओं के लिए एक सप्ताह की आवश्यकता का पूरक पोषाहार आंगनबाडी कार्यकर्ता के बताये अनुसार सप्लाई करें।

(ii) स्वयं सहायता समूह आंगनबाडी कार्यकर्ता से समय–समय पर प्राप्त आदेश/सूचना के आधार पर पूरक पोषाहार निर्माण कर इसकी आपूर्ति आंगनबाडी केन्द्र को करेगा तथा चालान पर प्राप्ति रसीद आंगनबाडी कार्यकर्ता से लेगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता प्राप्त पोषाहार की प्रविष्टि पोषाहार स्टॉक पंजिका में करेगी तथा चालानों को एक फाईल में क्रमवार सुरक्षित रखेगी। आंगनबाडी कार्यकर्ता स्वयं सहायता समूह को आपूर्ति आदेश विगत चार सप्ताह के औसत लाभार्थियों की संख्या के आधार पर देगी ताकि पोषाहार का समय पर तथा अधिकतम उपयोग सुनिश्चित हो सके।

(iii) स्वयं सहायता समूह द्वारा आंगनबाडी केन्द्र से प्राप्त प्राप्ति रसीद के आधार पर बिल (परिशिष्ठ संख्या–1 के प्रारूप में तारीख 21 से अगले माह की 20 तारीख तक का) दो प्रतियों में बनाकर कार्यकर्ता को प्रस्तुत करेगा जो इसे दोनों प्रतियों में प्रमाणित कर सैक्टर बैठक में महिला पर्यवेक्षक को देगी। महिला पर्यवेक्षक बिल को प्रमाणित कर इसे भुगतान हेतु बाल विकास परियोजना कार्यालय में प्रस्तुत करेगी। उसके द्वारा प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र पर प्राप्त पोषाहार के बिल को प्रमाणित करने से पूर्व इनकी जांच सम्बन्धित चालान तथा पोषाहार स्टॉक पंजिका से की जायेगी तथा सैक्टर के सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों के बिलों का स्टेटमेंट ऑफ बिल्स समरी भी परिशिष्ठ संख्या–2 के प्रारूप में बनाकर मूल बिलों के साथ परियोजना कार्यालय को प्रस्तुत करेगी।

(iv) इस प्रकार महिला पर्यवेक्षकों से प्राप्त बिलों की जांच परियोजना कार्यालय में बिल प्राप्ति के 5–7 दिवस में कर ली जायेगी तथा बिल को कोषागार कार्यालय से पारित करा सम्बन्धित स्वयं सहायता समूह को रेखांकित ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/बैंक खाते में सीधे हस्तान्तरण द्वारा भुगतान किया जायेगा।

(9) पूरक पोषाहार की गुणवत्ता के लिए निरीक्षण

(i) बाल विकास परियोजना अधिकारी/महिला पर्यवेक्षक/आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, स्वयं सहायता समूहों द्वारा उत्पादित किये जा रहे पूरक पोषाहार के निर्माण में घटकों के रूप में उपयोग की जाने वाली खाद्य सामग्री का समय–समय पर निरीक्षण किया जायेगा, जिससे यह सुनिश्चित हो कि प्रयुक्त की जाने वाली खाद्य सामग्री मानक गुणवत्ता की है तथा निर्धारित अनुपापत में सामग्री काम में ली जा रही है।

(ii) उप निदेशक/बाल विकास परियोजना अधिकारी अथवा उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्वयं सहायता समूह से प्राप्त पूरक पोषाहार का रेण्डम आधार पर परीक्षण किया जायेगा। परीक्षण सामान्य बुद्धि के आधार पर पोषाहार को देखकर/चखकर किया जायेगा। पोषाहार की गुणवत्ता सामान्य रूप से सही नहीं होने की स्थिति में पूरक पोषाहार का नमूना अपनी टिप्पणी सहित जांच हेतु निदेशालय को प्रेषित किया जायेगा।

(iii) प्रथम दृष्टया जो पूरक पोषाहार निम्नतर गुणवत्ता का प्रतीत होता हो ऐसी सप्लाई अथवा उसका उपभोग रोकने का अधिकार बाल विकास परियोजना अधिकारी को होगा। इस सम्बन्ध में, उप निदेशक, आई.सी.डी.एस., बाल विकास परियोजना अधिकारी को आवश्यक मार्गदर्शन देंगे।

(iv) गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए आपूर्तिकर्ता समूह का निरीक्षण निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं द्वारा अधिकृत राजकीय अधिकारियों/जनप्रतिनिधियों द्वारा किया जा सकेगा।

(v) स्वयं सहायता समूह द्वारा साफ–सफाई का पूरा ध्यान रखते हुए साफ–सुथरे स्थान पर पूरक पोषाहार (बेबी मिक्स) का निर्माण कर आपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी।

(vi) **पूरक पोषाहार की रेसीपी तैयार करने हेतु खाद्य सामग्री के क्रय, बर्तनों की व्यवस्था आदि स्वयं सहायता समूह द्वारा अपने स्तर पर की जायेगी। इसके लिए विभाग द्वारा कोई अग्रिम राशि स्वीकृत नहीं की जायेगी।**

(vii) स्वयं सहायता समूह को समस्त भुगतान बैंक ड्राफट/बैंकर्स चैक के माध्यम से उनके खाते में ही किया जायेगा। स्वयं सहायता समूह को नगद राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा।

(viii) स्वयं सहायता समूहों को विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्रों मे क्रय किये गये सामान तथा सप्लाई किये गये पूरक पोषाहार (बेबी मिक्स) आदि का हिसाब रखना होगा एवं सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार एवं निर्धारित दर मानदण्डों के आधार पर अथवा प्रति 100 ग्राम के लिए देय प्रोसेसिंग चार्ज सहित वास्तविक मासिक व्यय, जो भी कम हो का पुर्नभरण किया जायेगा। बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रमाणित बिल की प्राप्ति के अधिकतम 15 दिवस में स्वयं सहायता समूह को भुगतान हो जाये।

(ix) बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा समय–समय पर किये गये निरीक्षण की रिपोर्ट संलग्न परिशिष्ठ संख्या–3 के प्रपत्र में जारी की जायेगी। प्रत्येक महिला पर्यवेक्षक द्वारा भी प्रत्येक सप्ताह कम से कम 3 आंगनबाडी केन्द्रों का निरीक्षण किया जाकर इस सम्बन्ध में रिपोर्ट सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी को इसी प्रपत्र में प्रस्तुत की जावेगी, जिसके आधार पर बाल विकास परियोजना अधिकारी/उप निदेशक व्यवस्था सुधारने के लिए आवश्यक कदम उठायेंगे।

(10) (i) प्रशिक्षण :– जिला–भरतपुर, चूरू और बीकानेर तथा राजस्थान न्यूट्रिशन मिशन के 13 जिलों के उप निदेशकों तथा सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारियों के प्रशिक्षण एवं ओरियन्टेशन की व्यवस्था यूनीसेफ के सहयोग से दिनांक 17.12.2007 को की जा चुकी है तथा द्वितीय चरण में जिलेवार प्रशिक्षण की व्यवस्था उपरोक्त 3 जिलों तथा राजस्थान न्यूट्रिशन मिशन से सम्बन्धित 12 जिला मुख्यालयों (बांसवाडा को छोडकर) पर शीघ्र की जायेगी जिसमें सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी तथा परियोजना से सम्बन्धित सभी महिला पर्यवेक्षकों व गृह विज्ञान के विघार्थी/मास्टर ट्रेनर्स को सम्मिलित किया जायेगा। सम्बन्धित उप निदेशक परिपत्र में वर्णित स्वयं सहायता समूह के चयन के मापदण्ड के अनुसार प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र के लिए एक–एक उपयुक्त स्वयं सहायता समूहों का चयन सम्बन्धित महिला पर्यवेक्षक से करायेंगे। तृतीय चरण में सम्बन्धित उप निदेशक स्वयं अथवा बाल विकास परियोजना अधिकारी अपनी देख–रेख में महिला पर्यवेक्षक व मास्टर ट्रेनर्स की सहायता से चयनित दो–दो सैक्टर के प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तथा चयनित स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को एक दिवसीय व्यवहारिक प्रशिक्षण की व्यवस्था करायेंगे। महिला पर्यवेक्षक सैक्टर के सभी आंगनबाडी केन्द्रों पर प्रशिक्षण कराने के उपरांत चयनित स्वयं सहायता समूह तथा पोषाहार प्राप्त करने के इच्छुक बच्चों तथा गर्भवती/धात्री महिला एवं किशोरी बालिका सम्बन्धी सूचना परिशिष्ठ–4 के प्रारूप में परियोजना कार्यालय को प्रस्तुत करेगी जिसके आधार पर बाल विकास परियोजना अधिकारी स्वयं सहायता समूहों से अनुबंध निष्पादित करेंगे तथा वार्षिक आपूर्ति हेतु स्थाई आदेश जारी करेगें। बाल विकास परियोजना अधिकारी ऐसे आंगनबाड़ी केन्द्रों पर केन्द्रीकृत व्यवस्था के अन्तर्गत प्राप्त पोषाहार को नहीं भेजेगें। ऐसे केन्द्रों पर जहां स्थानीय स्तर पर उत्पादित पोषाहार के वितरण की व्यवस्था प्रारम्भ हो गई है इसकी सूचना मासिक प्रगति प्रतिवेदन के साथ विभाग को भेजेंगे।

(ii) इसी प्रकार चयनित परियोजना के शेष सैक्टरों/केन्द्रों पर योजना लागू करने से पूर्व आंगनबाड़ी केन्द्र स्तर पर कार्यकर्ता एवं चयनित स्वयं सहायता समूह के सदस्यों का प्रशिक्षण महिला पर्यवेक्षक तथा मास्टर ट्रेनर्स की सहायता से सम्बन्धित उप निदेशक/बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा कराया जायेगा।

(iii) द्वितीय तथा तृतीय चरण के प्रशिक्षण की व्यवस्था में भी यूनीसेफ–राजस्थान का सहयोग लिया जायेगा। द्वितीय चरण के प्रशिक्षण का अलग से कार्यक्रम जारी किया जायेगा।

(11) (i) जिला– भरतपुर में बाल विकास परियोजना कुम्हेर एवं डीग, जिला–बीकानेर में बाल विकास परियोजना कोलायत एवं श्रीडूंगरगढ, जिला–चूरू में बाल विकास परियोजना राजगढ एवं तारानगर तथा जिला–टोंक में संचालित बाल विकास परियोजना, मालपुरा और अलीगढ के दो–दो सैक्टरों में संचालित आंगनबाडी केन्द्रों पर यह योजना 08 मार्च, 2008 (अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस) से प्रारम्भ की जायेगी तथा 15 अप्रेल, 2008 तक इन परियोजनाओं के समस्त आंगनबाडी केन्द्रों पर इसे लागू किया जायेगा। अतः इन परियोजनाओं के बाल विकास परियोजना अधिकारी अविलम्ब सक्षम स्वयं सहायता समूहों का चयन करले।

(ii) 12 जिलों की एक–एक बाल विकास परियोजना के दो–दो सैक्टर में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों पर यह विकेन्द्रीकृत पूरक पोषाहार के निर्माण एवं वितरण की व्यवस्था 01 अप्रेल, 2008 से प्रारम्भ की जायेगी तथा 30 अप्रेल, 2008 के मध्य इसे चयनित एक परियोजना के समस्त सैक्टरों/केन्द्रों पर लागू किया जायेगा।

(iii) अनुभव के आधार अन्य परियोजनाओं में इसके विस्तार के लिए निर्देश पृथक से जारी किये जायेंगे।

(iv) **पूरक पोषाहार निर्माण एवं वितरण की यह व्यवस्था स्थानीय महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से लागू करने से पूर्व केन्द्रीकृत व्यवस्था के अन्तर्गत प्राप्त पूरक पोषाहार का उपयोग पूर्ण रूप से कर लिया जाये** तथा ऐसे केन्द्रों पर केन्द्रीकृत व्यवस्था के अन्तर्गत प्राप्त पूरक पोषाहार शेष नहीं रहने का प्रमाण–पत्र मासिक प्रगति प्रतिवेदन में अंकित करें।

(v) विकेन्द्रीकृत पूरक पोषाहार निर्माण एवं वितरण व्यवस्था के सम्बन्ध में विस्तृत मार्गदर्शन सम्बन्धी पुस्तिका संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

निदेशक एवं शासन उप सचिव
समेकित बाल विकास सेवाएं,
राज. जयपुर

एफ.4(1)( )पोषा/S.H.G./मसावि/2007/ 10546 - 850 जयपुर, दिनांक 19/02/08

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. निजी सचिव, मा. मंत्री महोदय, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं, राज. जयपुर।
4. निजी सहायक, निदेशक, महिला अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
5. मुख्य लेखाधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर।
6. समस्त अधिकारीगण, मुख्यालय।
7. उप निदेशक (ICDS) बांसवाड़ा को भेजकर लेख है कि बांसवाड़ा जिले में विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा निःशुल्क पोषाहार उपलब्ध कराये जाने के कारण उक्त योजना आपके अधीनस्थ संचालित बाल विकास परियोजनाओं में लागू नहीं की जा रही है। बांसवाड़ा जिले में यह योजना लागू करने के लिए अलग से यथा समय आदेश जारी किये जायेंगे, आप सभी परियोजना अधिकारियों को इस बाबत् सूचित करें।
8. बाल विकास परियोजना अधिकारी, समस्त। (जिला–बांसवाडा को छोडकर)

अतिरिक्त निदेशक (पोषाहार)
19/2/08

चयनित परियोजनाओं की सूची

प्रथम चरण में यह योजना जिन 12 जिलों में यूनीसेफ के सहयोग से राजस्थान न्यूट्रिशन मिशन कार्यक्रम चलाया जा रहा है उन जिलों की एक–एक बाल विकास परियोजनाओं में तथा गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित 3 जिलों की दो–दो बाल विकास परियोजनाओं में प्रारम्भ किया जायेगा। जिलेवार चयनित परियोजनाओं का विवरण निम्नानुसार है :–

क.सं.	जिला	परियोजना
1	अलवर	लक्ष्मणगढ
2	टोंक	अलीगढ
3	जोधपुर	बिलाडा
4	राजसमन्द	खमनौर
5	धौलपुर	बाड़ी
6	बारां	किशनगंज
7	डूंगरपुर	आसपुर
8	उदयपुर	झाडौल
9	चित्तौडगढ	छोटी सादडी
10	सिरोही	आबूरोड
11	स. माधोपुर	गंगापुर सिटी
12	झालावाड	डग
13	भरतपुर	कुम्हेर एवं डीग
14	चूरू	राजगढ एवं तारानगर
15	बीकानेर	कोलायत एवं श्रीडूंगरगढ

कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी, ...

आंगनबाडी केन्द्र ..... स्वयं सहायता समूह का नाम .....

सारणी

एक आंगनबाडी केन्द्र पर बच्चों की संख्या के अनुसार बेबी मिक्स तैयार करने के लिए गेहूं, सायाबीन, शक्कर एवं तेल की मात्रा का विवरण —

बच्चों की संख्या.	गेहूं की मात्रा किग्रा में	सोयाबीन की मात्रा किग्रा में	शक्कर की मात्रा किग्रा में	तेल की मात्रा किग्रा में	तैयार साप्ताहिक बेबी मिक्स का कुल वजन
1	2	3	4	5	6
20	3.600	2.250	2.700	0.450	9.000
21	3.780	2.362	2.835	0.473	9.450
22	3.960	2.475	2.970	0.495	9.900
23	4.140	2.587	3.105	0.518	10.350
24	4.320	2.700	3.240	0.540	10.800
25	4.500	2.813	3.375	0.562	11.250
26	4.680	2.925	3.510	0.585	11.700
27	4.860	3.038	3.645	0.607	12.150
28	5.040	3.150	3.780	0.630	12.600
29	5.220	3.263	3.915	0.652	13.050
30	5.400	3.375	4.050	0.675	13.500
31	5.580	3.488	4.185	0.697	13.950
32	5.760	3.600	4.320	0.720	14.400
33	5.940	3.713	4.455	0.742	14.850
34	6.120	3.825	4.590	0.765	15.300
35	6.300	3.938	4.725	0.787	15.750
36	6.480	4.050	4.860	0.810	16.200
37	6.660	4.163	4.995	0.832	16.650
38	6.840	4.275	5.130	0.855	17.100
39	7.020	4.388	5.265	0.877	17.550
40	7.200	4.500	5.400	0.900	18.000
41	7.380	4.613	5.535	0.922	18.450
42	7.560	4.725	50670	0.945	18.900
43	7.740	4.838	5.805	0.967	19.350
44	7.920	4.950	5.940	0.990	19.800
45	8.100	5.063	6.075	1.012	20.250
46	8.280	5.175	6.210	1.035	20.700
47	8.460	5.288	6.345	1.057	21.150
48	8.640	5.400	6.480	1.080	21.600
49	8.820	5.513	6.615	1.102	22.050
50	9.000	5.625	6.750	1.125	22.500
55	9.900	6.188	7.425	1.237	24.750
60	10.800	6.750	8.100	1.350	27.700

उदाहरण के लिए यदि 6 माह से 3 वर्ष के कुल 40 बच्चों का साप्ताहिक (6 दिन का) पोषाहार बेबी मिक्स के 40 पैकेट तैयार करने है ते 7.2 किग्रा. गेहूं, 4.5 किग्रा सोयाबी, 5.4 किग्रा शक्कर और 900 किग्रा तेल की आवश्यकता होगी। इसी तरह जितने बच्चों का बेबी मिक्स बनाना है उस संख्या के आगे सामग्री (गेहूं, सोयाबीन, शक्कर और तेल) की जितनी मात्रा लिखी हुई है उतनी ही लें।

कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी, ...

आंगनबाडी केन्द्र ..... स्वयं सहायता समूह का नाम .....

सारणी

एक आंगनबाडी केन्द्र पर गर्भवती/धात्री माताओं/किशोरी बालिकाओ की संख्या के अनुसार बेबी मिक्स तैयार करने के लिए गेहूं, सायाबीन, शक्कर एवं तेल की मात्रा का विवरण :–

गर्भवती/धात्री माताओं/किशोरी बालिकाओं की संख्या	गेहूं की मात्रा किग्रा में	सोयाबीन की मात्रा किग्रा में	शक्कर की मात्रा किग्रा में	तेल की मात्रा किग्रा में	तैयार साप्ताहिक बेबी मिक्स का कुल वजन
1	0.312	0.195	0.234	0.039	0.780
2	0.624	0.390	0.468	0.078	1.560
3	0.936	0.585	0.702	0.117	2.340
4	1.248	0.780	0.936	0.156	3.120
5	1.560	0.975	1.170	0.195	3.900
6	1.872	1.170	1.404	0.234	4.680
7	2.184	1.365	1.638	0.273	5.460
8	2.496	1.560	1.872	0.312	6.240
9	2.808	1.755	2.106	0.351	7.020
10	3.120	1.950	2.340	0.390	7.800
11	3.432	2.145	2.574	0.429	8.580
12	3.744	2.340	2.808	0.468	9.360
13	4.056	2.535	3.042	0.507	10.140
14	4.368	2.730	3.276	0.546	10.920
15	4.680	2.925	3.510	0.585	11.700
16	4.992	3.120	3.744	0.624	12.480
17	5.304	3.315	3.978	0.663	13.260
18	5.616	3.510	4.212	0.702	14.040
19	5.928	3.705	4.446	0.741	14.820
20	6.240	3.900	4.680	0.780	15.600

उदाहरण के लिए यदि गर्भवती/धात्री महिलाओं तथा साप्ताहिक (6 दिन का) पोषाहार बेबी मिक्स के पैकेट तैयार करने हेतु उस संख्या के आगे सामग्री (गेहूं, सोयाबीन, शक्कर और तेल) की जितनी मात्रा लिखी हुई है उतनी ही लें।

परिशिष्ठ संख्या---(1)

(स्वयं सहायता समूह का नाम)

स्वयं सहायता समूह द्वारा आपूर्ति किये गये पोषाहार का बिल

बाल विकास परियोजना ..... सैक्टर .....

आ. बा. केन्द्र का नाम .....

आ. बा. कार्यकर्त्ता का नाम .....

क.सं.	चालान न. व दिनांक	बच्चों के लिए 450 ग्राम के पैकेट की संख्या	गर्भवती/धात्री महिलाओं के लिए 780 ग्राम के पैकेट की संख्या
1			
2			
3			
4			
5			
योग		N-1	N-2

क्लेम की राशि = (450 ग्राम पैकटों की संख्या X दर) + (780 ग्राम के पैकटों की संख्या X दर)

(N-1 X 12.02) + (N-2 X दर)

योग = रू. ..... (अक्षरे..... रूपये)

हस्ताक्षर अध्यक्ष
स्वयं सहायता समूह मय सील

प्रमाणित किया जाता है कि समूह से उक्त चालानों के माध्यम से प्राप्त पोषाहार (बेबी मिक्स) की पोषाहार (स्टॉक) पंजिका में प्रविष्टियां कर दी गई है एवं मासिक बिल (अवधि.....को) प्रमाणित किया जाता है।

सत्यापित
हस्ताक्षर महिला पर्यवेक्षक

सत्यापित
हस्ताक्षर आ.बा. कार्यकर्त्ता

परिशिष्ठ संख्या–(2)

स्वयं सहायता समूहों द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रोवार आपूर्ति किये गये पूरक पोषाहार (बेबी मिक्स) बिलों का संक्षिप्त विवरण

बाल विकास परियोजना ..... सैक्टर .....

बिल की अवधि ..... से ..... तक

क.सं.	आंगनबाड़ी केन्द्रों का नाम	स्वयं सहायता समूहों का नाम	बिल की		बा.वि.परि.अधि. द्वारा पारित बिल की राशि
			संख्या/दिनांक	राशि	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
योग					

कार्यालय : बाल विकास परियोजना के उपयोग हेतु

उक्त बिलों की जांच करली गई है तथा राशि रू..... (अक्षरे ..... रूपये) के लिए पारित किया जाता है।

हस्ताक्षर क. लिपिक हस्ताक्षर क. लेखाकार हस्ताक्षर बा.वि.परि. अधिकारी

परिशिष्ठ संख्या–(3)

बाल विकास परियोजना अधिकारी/महिला पर्यवेक्षक के द्वारा किये गये पर्यवेक्षण की रिपोर्ट
(एक आंगनबाडी केन्द्र के लिए एक)

आंगनबाडी केन्द्र का नाम ..... निरीक्षण दिनांक व समय .....

(1) निरीक्षणकर्ता का नाम व पद .....

(2) यात्रा का साधन .....

(3) केन्द्र पर कौन–कौन उपस्थित मिला :– कार्यकर्ता/सहायिका/सहयोगिनी

(4) केन्द्र (ग्रामीण) की जनसंख्या ..... पुरूष ..... महिला.....

(अ) 7 माह से 2 वर्ष बालक ..... बालिका .....

(ब) 2 से 3 वर्ष तक बालक ..... बालिका .....

योग – अ एवं ब बालक ..... बालिका .....

(स) सूक्ष्म पोषक तत्व का पाउच (स्प्रिंकल) एवं पूरक पोषाहर लेने वाले लाभान्वित

7 माह से 2 वर्ष बालक ..... बालिका .....

2 से 3 वर्ष तक बालक ..... बालिका .....

योग – अ एवं ब बालक ..... बालिका .....

(5) सोमवार को कितने बच्चे स्प्रिंकल/पूरक पोषाहार लेने केन्द्र पर आये .....

(6) पोषाहार के कितने पैकिट आये ..... कितने वितरित हुए .....

(7) गत सोमवार को वितरण से कितने पैकिट शेष रहे थे .....

(8) सोमवार को कितने स्प्रिंकल पाउच वितरित हुए ..... कितने खाली आये .....

(9) केन्द्र पर समूह द्वारा आपूर्ति किये गये पोषाहार एवं स्प्रिंकल का रिकार्ड संधारण हो रहा है – हॉ/नहीं

(10) 7 माह से 3 वर्ष तक के बच्चों का वजन इस माह लिया गया है – हॉ/नहीं
यदि हॉ तो बताये :–
सामान्य ..... ग्रेड–I ..... ग्रेड–II ..... ग्रेड–III ..... ग्रेड–IV .....

(11) सहयोगिनी द्वारा गृह सम्पर्क के दौरान कितने बच्चों को स्प्रिंकल/पूरक पोषाहार अपने समक्ष खिलवाया है ..... (सहयोगिनी की डायरी देखें)

(12) निरीक्षण के दौरान आपने पोषाहार नहीं लेने वाले कितने बच्चों के परिवारजन से सम्पर्क किया .....
पोषाहार क्यों नहीं लेना चाहते हैं .....